

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियटिव्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए।

11-11-25

पीछारीम अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 11.11.25
को पेश हो।
4
शिर

17/12/25

पत्रावली पेशा हुक्म उप
वगैरे पेश होने मावधीन को
01R10 दिनांक 24/12/25 को
पेश हो।

4
S.O.

24/12/25 अतिमापक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 24/12/25
को पेश हो।
4
S.O.

25/12/25 अतिमापक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 25/12/25
को पेश हो।
4
S.O.

01/1/26

पत्रावली पिछले कार पेशा वकील
वकील द्वारा लादी प्रहसन व की
अज्ञेते प्र वकील को पेश कर प्रकरण
पत्रावली को कार्य वाही प्रेष निचे
जाने हेतु निवेदन किया गया है।
प्रकरण पत्रावली को कार्य वाही प्रेष
स्कारिज की जाती है। प्रकरण लवणा
02/28/2020 से पुनर्लिखित अज्ञेते

11/1/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तवर

बाबत

री

तारीख
हुकम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डिक्रिकं 23/9/24 को निरस्त
किया जाता है। पता वाले
गम्बर से काम हो चुका है
पूर्ति जमा है।

आफ में सुनवाई का प्रमाणित
... कोर्ट में ... जमानत
... दिनांक ...

आफ में सुनवाई का प्रमाणित
... कोर्ट में ... जमानत
... दिनांक ...



श.प्रि.

1/4/26

सेवामें,

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ जिला अलवर

प्रहलाद

बनाग

बाबूलाल

दावा अन्तर्गत धारा 53, वो 188 बाबत
तकसीम आराजी वो स्थाई निषेधाज्ञा

श्रीमान,

प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह है कि उक्त अनुवानी न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन हैं।
2. यह है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में आप श्रीमान द्वारा ताफैसला स्टे जारी किया हुआ है।
3. यह है कि उक्त प्रकरण को मैं आगे चलाना नहीं चाहता हूँ और ना ही उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही चाहता हूँ।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली को तलब फरमाई जाकर उक्त प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप फरमाये जाने की कृपा करे।

दिनांक १६.03.2026

प्रहलाद

प्रार्थी/परिवादी

प्रहलाद पुत्र स्व. कन्हैया नाथ जाति
जोगी निवासी ग्राम खोहदरीबा
तहसील टहला जिला अलवर राज0